भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

njlpkj ¼ilkj.k vkj dcy lok,½ vrjl;ktu ¼pkFkk l'kk/ku½ fofu;e] 2007

(2007 का संख्यांक 9)

Hkkjrh; njlpkj fofu;ked ikf/kdj.k

vf/klpuk

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2007

फा. सं0 4–54/2007–बी एंड सीएस – भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं0 39 जो, –

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) और 45 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (2) तथा उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा तथा धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन

विनियम, 2004 (2004 का 13) में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1- (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये 1 दिसम्बर, 2007 को प्रवृत्त होंगे।

2- दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) में, खंड 2 में, –

(i) उप–खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(कक) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;'

(ii) उप–खंड (i) के पश्चात, निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

'(iक) "वाणिज्यिक सब्सक्राइबर" से अभिप्रेत है ऐसा सब्सक्राइबर जो उसके द्वारा सेवा प्रदाता को बताए गए स्थान पर कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है, तथा वह ऐसी सेवा के सिगनलों का प्रयोग अपने ग्राहकों, उपभोक्ताओं, सदस्यों अथवा ऐसे स्थान तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या समूह के लाभ के लिए करता है;'

(iii) उप–खंड (ट) में, "केयू बैंड में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) उप–खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(टक) "डायरेक्ट–टु–होम सेवा" से अभिप्रेत है किसी मध्यस्थ, जैसे केबल ऑपरेटर अथवा टीवी चैनलों का कोई अन्य वितरक, के माध्यम से संप्रेषण बिना सब्सक्राइबरों के परिसरों को सीधे टीवी सिगनल प्रदान कर एक उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करके बहु–चैनल टीवी कार्यक्रमों का वितरण;'

(टख) "डायरेक्ट–टु–होम सब्सक्राइबर" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट–टु–होम सेवा के सिगनल प्राप्त करता है;'

(v) उप–खड (ड) के पश्चात, निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(डक) 'साधारण सब्सक्राइबर' से ऐसा सब्सक्राइबर अभिप्रेत है जो किसी सेवा प्रदाता से कार्यक्रमों सेवा करता है और उनका इस्तेमाल अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता है;

'(डख) 'पे चैनल' से अभिप्रेत है ऐसा चैनल जिसके लिए केबल के माध्यम से या अंतरिक्ष के माध्यम से इलैक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों द्वारा सिगनलों के ऐसे रि–ट्रांसमिशन के लिए प्रसारक से चैनल के सिगनल प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रसारक को शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसका आशय सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना है।

(डग) "कार्यक्रम" से कोई टेलीविजन प्रसारण अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है–

(i) वीडियो कैसेट रिकॉर्डरों अथवा वीडियो कैसेट प्लेयरों के माध्यम से फिल्मों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई श्रव्य अथवा दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सजीव प्रदर्शन अथवा प्रस्तुतीकरण, तथा 'कार्यक्रम सेवा' अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार निकाला जाएगा;'

(vi) उप–खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित उप–खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

'(ढक) 'सब्सक्राइबर' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सेवा प्रदाता से उसके द्वारा बताए गए किसी स्थान पर उस सेवा प्रदाता के सिगनल प्राप्त करता है और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को आगे ट्रांसमिट नहीं करता है तथा इसमें साधारण सब्सक्राइबर और वाणिज्यिक सब्सक्राइबर दोनों ही शामिल हैं, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से हटाया न गया हो;'

3- प्रधान विनियम के विनियम 13 में, –

(क) उप–विनियम 13.1 में, "13.1 सभी प्रसारक ...." अंकों तथा शब्दों से आरंभ होने वाले प्रारंभिक स्थान में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव
13.1 सभी प्रसारक ....";

(ख) उप–विनियम 13.2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"13.2क डायरेक्ट–टु–होम सेवा के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव

13-2d-1 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा ऐसे प्रारंभन के पश्चात् ऐसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है, ऐसे प्रारंभन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, उस तारीख को विद्यमान और नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अस्तित्व में आने वाले सभी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों को, उसका संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव सूचित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित निबंधन और शर्तों सहित डायरेक्ट–टु–होम प्लेटफार्म हेतु अंतरसंयोजन के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया होगा, अर्थात्:–

(क) अला–कार्टे आधार पर चैनलों की दरें तथा प्रसारक द्वारा डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक को प्रदान किए जा रहे बुके की दरें;

(ख) छूट के विवरण, यदि कोई है;

(ग) भुगतान की शर्तें;

(घ) प्रतिभूति तथा प्रति–चौर्य आवश्यकताएं;

(ङ) सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सब्सक्राइबर रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षा;

(च) करार की अवधि;

(छ) करारों का समापन;

13-2-d-2 प्रत्येक प्रसारक, अपनी वेबसाइट पर, उप–विनियम, 13.2.क.1 में निर्दिष्ट संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव की एक प्रति प्रकाशित करेगाः

परंतु यह कि कोई प्रसारक, जिसने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व कोई संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव अपनी वेबसाइट पर सूचित अथवा प्रकाशित किया है, वह ऐसे संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को परिवर्धित करेगा ताकि यह प्रस्ताव विनियम 13.2क.1 में निर्दिष्ट संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप बन सके और उसे प्रकाशित करेगा जैसा कि इस उप–विनियम के अंतर्गत अपेक्षित है।

13-2-d-3 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् प्रसारण सेवाएं उपलब्ध करना शुरू करता है, ऐसे प्रारंभन के नब्बे दिन के भीतर अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान करने से पूर्व, जो भी बाद में हो, उस तारीख को विद्यमान सभी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों को, उसका संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव सूचित करेगा जिसमें उप–विनियम 13.2.क.1 में निर्दिष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट

होंगी तथा इसे ऐसी सूचना से पूर्व अथवा उसके साथ–साथ इसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

13-2d-4 प्रत्येक डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक, जिसे दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवांए) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात् लाइसेंस प्रदान किया गया है, किसी प्रसारक को ऐसे प्रसारक के संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकेगा तथा ऐसा प्रसारक, ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर, वह प्रति डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक को उपलब्ध कराएगा।

13-2d-5 प्रत्येक प्रसारक, जो उप–विनियम 13.2क.1 अथवा उप–विनियम 13.2क.3 में निर्दिष्ट इसके संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में कोई परिवर्धन करता है, ऐसे परिवर्धनों के तत्काल बाद, इसके संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में किए गए ऐसे परिवर्धनों के बारे में सभी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों को सूचित करेगाः

परंतु यह कि ऐसे सभी परिवर्धन उसी रीति से उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित तथा प्रदर्शित किए जाएंगे जैसे कि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों को सूचित किया गया था तथा प्रसारकों की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

प्रसारकों और डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों के बीच करार

13-2d-6 (1) खंड 13.2क.1 अथवा 13.2क.3 अथवा 13.2क.5 में निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, तथा डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों को सूचित तथा प्रसारक द्वारा इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किसी प्रसारक का संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव, प्रसारक तथा डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों के बीच किए जाने वाले सभी अंतरसंयोजन करारों का आधार होगाः

परंतु यह कि प्रसारक विभिन्न डायेक्ट–टु–होम प्रचालकों के साथ ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो उनके बीच सहमत की जाएंगी, संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को परिवर्धित करके, गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर, करार कर सकेंगे।

परंतु यह और कि यदि किसी प्रसारक ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक के साथ करार किया है और वह उक्त विनियमों के अंतर्गत उसके संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (उसके संवर्धनों सहित) को बाद में प्रकाशित करता है, तो ऐसा प्रसारक, उक्त प्रस्ताव के प्रकाशन के पश्चात, ऐसे डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक को या तो इन विनियमों के अनुरूप कोई करार करने अथवा ऐसे प्रारंभन से पूर्व किए गए करार को उसकी वैधता तक जारी रखने का विकल्प देगा।

(2) कोई प्रसारक, जिसने, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक के साथ करार किया है तथा ऐसे डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक ने ऐसे प्रारंभन के पश्चात प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप ऐसे प्रसारक के साथ करार करने के लिए उप–नियम (1) के अंतर्गत विकल्प दिया है, ऐसी तारीख, जिसको ऐसे प्रचालक ने विकल्प दिया है, से प्रारंभ होने वाली, तथा ऐसी तारीख, जिसको संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप ऐसा करार किया गया है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अथवा पूर्व करार की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले थी, सिगनलों को विच्छेदित (इन विनियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप के सिवाए) नहीं करेगा।

(3) कोई प्रसारक, जिसने, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने से पूर्व किसी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक के साथ करार किया है तथा ऐसे डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक ने ऐसे प्रारंभन से

पूर्व, ऐसे प्रसारक के साथ, किए गए करार को जारी रखने के लिए उप–विनियम (1) के अंतर्गत विकल्प दिया है, ऐसे करार की वैधता के दौरान ऐसे प्रचालक के सिगनलों को विच्छेदित (इन विनियमों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप के सिवाए) नहीं करेगा।

प्रसारकों तथा डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों के बीच करार करने के लिए समय–सीमा

13-2d-7 (1) प्रत्येक प्रसारक, डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक से अंतरसंयोजन करार करने के लिए अथवा पहले ही किए गए अंतरसंयोजन करार में परिवर्धन के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, इन विनियमों के अधीन प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप करार करेगा अथवा ऐसे प्रचालक के साथ पहले ही किए गए करार को परिवर्धित करेगा।

(2) यदि कोई प्रसारक विनियम 13.2 क.5 में निर्दिष्ट किसी परिवर्धन की सूचना देता है, तो उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट करार डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक के विकल्प पर उसी रीति से परिवर्धित होगा, जैसी कि उप–विनियम (1) के अंतर्गत करार करने के समय थी।

13-2d-8 यदि प्रसारक तथा डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक अंतरसंयोजन करार करने में असफल रहते हैं, तो दोनों पक्ष संयुक्त रूप से, अधिनियम की धारा 14क के उपबंधों के साथ पूर्वापेक्षा रखे बिना, किसी भी समय, प्राधिकरण से अंतरसंयोजन करार करने के लिए प्रक्रिया को सुकर बनाने का अनुरोध कर सकेंगे।

13-2d-9 खंड 13.2 क.8 में अंतनिर्हित किसी भी बात का आशय तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत प्रसारक और डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक को प्रदत्त किसी भी विधिक अधिकार को वापस लेना नहीं लगाया जाएगा तथा उनमें से कोई भी पक्ष, सरलीकरण प्रक्रिया के दौरान, किसी भी समय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

13.2d.10 खंड 13.2 क.8 अथवा 13.2 क.9 में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे मामले अथवा मुद्दे पर लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में –

(क) अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में कोई कार्यवाही लंबित हो; अथवा

(ख) किसी सक्षम न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, कोई डिक्री, पंचाट अथवा कोई आदेश पारित किया गया हो।

अला–कार्टे आधार पर चैनलों को अनिवार्य रूप से प्रदान करना

13.2d.11 प्रसारक के लिए डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों को अला–कार्टे आधार पर पे–चैनल प्रदान करना अनिवार्य होगा तथा अला–कार्टे आधार पर चैनलों के इस प्रकार से प्रदान करने की प्रक्रिया प्रसारक को बुके के रूप में ऐसे पे–चैनल अतिरिक्त रूप से प्रदान करने से निवारित नहीं करेगीः

परंतु यह कि कोई भी प्रसारक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक को वे समस्त बुके अथवा अन्य बुके प्रदान करने के लिए विवश नहीं करेगा जो ऐसे डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक द्वारा इसके डीटीएच सब्सक्राइबरों को प्रदान किए जा रहे किसी पैकेज अथवा स्कीम के तहत प्रसारक द्वारा ऐसे प्रचालक को प्रदान किए जा रहे हैं।

13.2d.12 अला–कार्टे आधार पर पे–चैनलों के लिए दरें तथा बुके के लिए दरें निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी; अर्थात्ः–

(क) ऐसे बुके का भाग बना रहे पे–चैनलों की अला–कार्टे दरों का योग किसी भी दशा में उस बुके की दर से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, जिसका कि पे–चैनल एक भाग है, तथा

(ख) ऐसे बुके का भाग बना रहे प्रत्येक पे–चैनल की अला–कार्टे दरें, किसी भी दशा में, उस बुके के पे–चैनल की औसत दर से तीन गुना से अधिक नहीं होंगी, जिसका का ऐसा पे–चैनल एक भाग है तथा बुके के पे–चैनल की औसत दर का आकलन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:–

यदि बुके दर रु0 'एक्स' प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर है, और बुके में पे–चैनलों की संख्या 'वाई' है, तो बुके की औसत प्रति चैनल दर रु0 'एक्स' भाग पे–चैनलों की संख्या 'वाई' होगी।

13-2d-13 प्रत्येक डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवांए) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9) के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी प्रसारक द्वारा प्रदान किए गए एक बुके अथवा अधिक बुके (जिसे इसके पश्चात चुनिंदा बुके कहा गया है) का विकल्प लेता है, ऐसे बुके अथवा अधिक बुकों में से चैनलों की पैकेजिंग का निर्णय ले सकेगा, जोकि उसके द्वारा उसके डीटीएच सब्सक्राइबरों को प्रदान किए जा सकते हैं;

परंतु यह कि ऐसे मामले में जहां कोई डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक –

(क) अपने डीटीएच सब्सक्राइबरों को ऐसा बुके समस्त रूप से प्रदान नहीं करता है परंतु ऐसे सब्सक्राइबरों को ऐसे चुनिंदा बुके में निहित केवल कुछ ही चैनल प्रदान करता है; अथवा

(ख) ऐसे चुनिंदा बुके में निहित चैनलों के ऐसी रीति से पैकेज बनाता है कि ऐसे चुनिंदा बुके में निहित विभिन्न चैनलों के लिए सब्सक्राइबर बेस भिन्न हो जाता है,

तो डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक द्वारा ऐसे समस्त चुनिंदा बुके के लिए भुगतान का आकलन उन चैनलों के लिए सब्सक्राइबर बेस के आधार पर किया जाएगा जिनका कि उस बुके में निहित चैनलों में उच्चत सब्सक्राइबर बेस है।

(ग) उप–विनियम 13.3 में, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"13.3 यदि प्राधिकरण की यह राय है कि प्रसारण क्षेत्र और केबल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं या उपभोक्ताओं के हितों के रक्षा के लिए अथवा प्रसारण क्षेत्र और केबल क्षेत्र के संवर्धन अथवा उसका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में परिवर्धन किए जाने की आवश्यकता है, अथवा संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है, तो यह, संबंधित प्रसारक को सुने जाने का एक अवसर प्रदान करने के बाद, संबंधित प्रसारक से उक्त प्रस्ताव को परिवर्धित करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा प्रसारक ऐसे परिवर्धन करेगा और परिवर्धनों के लिए अपेक्षा प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे परिवर्धनों को शामिल करने के पश्चात् उक्त प्रस्ताव को प्रकाशित करेगा।"

¼vkj-,u- pkc½
प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस)

टिप्पणी 1. प्रधान विनियम अधिसूचना सं0 8–26/2004–बीएंडसीएस दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें बाद में अधिसूचना सं0 3–57/2005–बीएंडसीएस दिनांक 3 मार्च, 2005, सं0 11–13/2006–बीएंडसीएस दिनांक 24 अगस्त, 2006 और सं0 6–4/2006–बीएंडसीएस दिनांक 4 सितम्बर, 2006, द्वारा संशोधन किए गए।

टिप्पणी 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

0;k[;kRed Kkiu

d- i"BHkkfe

1. डायरेक्ट–टु–होम (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीटीएच सेवा कहा गया है) सेवा में, बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल अत्यंत उच्च शक्ति वाले उपग्रहों से डिजटल रूप में संपीड़ित, इंक्रिप्ट तथा विकीर्णित होते हैं। डीटीएच के माध्यम से संप्रेषित कार्यक्रमों को भवनों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटीना स्थापित कर सीधे घरों में प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि एक वैयक्तिक प्रयोक्ता सीधे डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीटीएच प्रचालक कहा गया है) से सेवा प्राप्त करता है, अतः डीटीएच सेवा के संप्रेषण को किसी वाणिज्यिक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है । तथापि, मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नलों को प्राप्त करने और उन्हें टेलीविजन सेट पर देखने के लिए एक डिजिटल रिसीवर, जिसे सामान्यतया सेट टॉप बॉक्स कहा जाता है, की आवश्यकता होती हैं।

2. भारत में, केबल ट्रांसमिशन की तुलना में डीटीएच सेवा का अभ्युदय हाल ही में हुआ है। डीटीएच एक एड्रेसेबल प्रणाली है तथा समस्त देश को कवर कर सकती है। डीटीएच लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के पास निहित है। एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन को छोड़कर, दो डीटीएच प्रचालकों ने भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपने प्रचालन शुरू किए हैं । ये हैं–मैसर्स एएससी इंटरप्राइजेज (जोकि डिश टीवी के ब्रांड नाम से ज्ञात है) तथा मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड। डिश टीवी ने अक्तूबर, 2003 माह में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थीं तथा टाटा स्काई ने अपनी सेवा अगस्त, 2006 में आरंभ की थी । दोनों डीटीएच प्रचालक फ्री–टु–एयर चैनलों के साथ अनेक पे–चैनल प्रदान करते हैं तथा देश में उनके सब्सक्राइबरों की संख्या वर्तमान में लगभग 3.2 मिलियन होने का अनुमान है। इसकी तुलना में, अन्य एड्रेसेबल वितरण प्लेटफार्म, नामतः केबल टेलीविजन के लिए सशर्त उपागम प्रणाली (कैस) के देश के कैस अधिसूचित क्षेत्रों में

लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवा (जिसे डीडी डायरेक्ट कहा जाता है) पर फ्री–टु–एयर चैनल उपलब्ध कराता है, जिसके लिए सब्सक्राइबर को खुले बाजार से डिश तथा सेट टॉप बॉक्स खरीदना पड़ता है। चूंकि दूरदर्शन सिगनल अन–इंक्रिप्टेड तथा फ्री–टु–एयर हैं, इसके दर्शकों की संख्या का सटीक आकलन उपलब्ध नहीं है। हाल ही में, मैसर्स सन टीवी लिमिटेड तथा मैसर्स रिलाएंस ब्लू मैजिक लिमिटेड को डीटीएच लाइसेंस दिए गए हैं तथा दो और संभावित डीटीएच प्रचालक लाइसेंस की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

3. जैसाकि परामर्श–पत्र में उल्लेख किया गया है, डीटीएच प्लेटफार्म पर कंटेंट की उपलब्धता हाल तक काफी सीमित थी। इस प्रकार, हालांकि डीटीएच सेवाएं देश में उपलब्ध थीं, ये केबल सेवाओं को कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा प्रदान नहीं कर रही थीं। डीटीएच प्लेटफार्म पर लोकप्रिय कंटेंट की उपलब्धता के साथ ही पिछले एक वर्ष में स्थिति में परिवर्तन आया है। पे–टीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए डीटीएच तथा केबल टीवी के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि दो प्लेटफार्मों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के मुद्दे की जांच की जाए।

4. 31 दिसम्बर, 2006 को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों में अधिसूचित क्षेत्रों में सर्शत उपागम प्रणाली (कैस) के क्रियान्वयन के साथ, केबल टेलीविजन सेवाओं के वितरण में एड्रेसेबिलिटी चेन्नई से भी आगे विस्तारित कर दी गई है, जहां कैस 2003 में लागू किया गया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में कैस का क्रियान्वयन कैस के लिए विनियामक ढांचे को लागू करने से पूर्व किया गया था। कैस के लिए विनियामक ढांचे में मुख्य रूप से कैस क्षेत्रों में केबल सेवाओं के लिए सेवा गुणवत्ता विनियम, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 के अंतरसंयोजन विनियम में संशोधनों के माध्यम से निर्दिष्ट मानक अंतरसंयोजन करार तथा कैस क्षेत्रों में बुनियादी सेवा टियर प्रभारों की कीमतों, पे–चैनलों के प्रभारों पर सीमा तथा सेट टॉप

बॉक्स के लिए मानक टैरिफ प्लानों को विनियमित करने वाला एक टैरिफ आदेश शामिल था। तदनुसार, डीटीएच सेवाओं हेतु समान विनियामक ढांचे के लिए सब्सक्राइबरों तथा कुछ सेवा प्रदाताओं से मांगें उठी हैं।

5. डीटीएच सेवा प्रदाता इस बात के लिए अभ्यावेदन दे रहे हैं कि कुछ प्रसारकों के साथ उनके करार उन्हें अलोकप्रिय कंटेंट कैरी करने के लिए बाध्य करते हैं और यह कि इसके परिणामस्वरूप सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रभार उच्च हो जाते हैं। डीटीएच प्रसारकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि किसी मानक करार तथा प्रभावी अंतरसंयोजन तंत्र के अभाव में उन्हें उपभोक्ता हित में प्रसारकों के साथ ऐसे खंडों वाले करारों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। डीटीएच सेवा प्रदाताओं ने प्राधिकरण से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। एक डीटीएच प्रचालक ने प्राधिकरण से डीटीएच वितरण के लिए एक "मानक अंशदायी करार" तैयार करने का अनुरोध भी किया है, जो सभी प्रसारकों पर समान रूप से लागू हो।

6. कैस क्षेत्रों में केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे में, जोकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में कैस के क्रियान्वयन के समय पर निर्धारित किया गया था, मानक अंतरसंयोजन करार शामिल थे, जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को अंतरसंयोजन विनियमों में संशोधन द्वारा निर्दिष्ट किए गए थे। कैस क्षेत्रों से बाहर केबल सेवाओं (नॉन–एड्रेसेबल मोड में) के संबंध में, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 के अंतरसंयोजन विनियम दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को संशोधित किए गए थे, जिनमें प्रसारकों को अब उनके संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तदनुसार, विद्यमान डीटीएच प्रचालकों तथा संभावित प्रचालकों से डीटीएच सेवाओं हेतु एक प्रभावी अंतरसंयोजन तंत्र के लिए मांगें उठ रही हैं ताकि युक्तिसंगत निबंधनों पर कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

[k- ijke'k&ifØ;k

7. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ट्राई अधिनियम, 1997 कहा गया है) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii) और (iii) प्राधिकरण के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोज्यता के निबंधन और शर्तें निर्धारित करने तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करने का उपबंध करते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा (4) प्राधिकरण से इसके अधिकारों का प्रयोग करने तथा इसके कृत्यों का निर्वहन करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने डीटीएच सेवाओं के लिए एक प्रभावी अंतरसंयोजन तंत्र उपलब्ध कराने से पूर्व परामर्श–प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया।

8. परामर्श प्रक्रिया डीटीएच से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 2 मार्च, 2007 को परामर्श–पत्र जारी करने के माध्यम से प्रारंभ हुई थी जिसमें पणधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी। 27 पणधारकों/प्रतिनिधियों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। परामर्श–पत्र पर उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर पणधारकों के प्रतिनिधियों के साथ आगे विचार–विमर्श के लिए भुवनेश्वर में 18 मई, 2007 को एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी।

x- ijke'k d fy, enn

9. परामर्श–पत्र में परामर्श के लिए जो मुद्दे उठाए गए थे वे निम्नानुसार हैं:–

(i) क्या प्रसारकों तथा डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन करारों को विनियमित किया जाना चाहिए?

(ii) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण को प्रसारकों द्वारा डीटीएच प्लेटफार्मों को कंटेंट के प्रावधान के लिए "मानक अंतरसंयोजन करार" तैयार तथा अधिदेशित करने चाहिए अथवा

इस प्रयोजन के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) पद्धति अपनाई जानी चाहिए?

(iii) क्या कोई अन्य पद्धति है जिसके द्वारा इन व्यवस्थाओं को विनियमित किया जा सके?

10. परामर्श–पत्र में लाइसेंस करार में "मस्ट कैरी" प्रावधान तथा डीटीएच सेवाओं के लिए कैरिज शुल्क के विनियम के बारे में निम्नलिखित मुद्दे भी उठाए गए थेः–

(i) क्या विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/चैनलों को गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर एक्सेस का प्रावधान की अपेक्षा करने वाले खंड को समाप्त करने के लिए डीटीएच लाइसेंस शर्तों को संशोधित किया जाना चाहिए?

(ii) विकल्पतः, क्या व्यूवरशिप अंश के आधार पर केवल लोकप्रिय कंटेंट का कैरिज अधिदेशित किया जाना चाहिए, जैसाकि स्वतंत्र निगरानी एजेंसियों द्वारा अवधारित किया गया है?

(iii) क्या डीटीएच प्लेटफार्मों के लिए कैरिज शुल्क विनियमित किया जाना चाहिए? यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार किया जाएगा?

?k- <u>ijke'k&ifØ;k d: nkjku ikIr ifrfØ;kvk dk fo'y"k.k</u>

11. परामर्श–प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की गई है तथा उपयुक्त बुनियादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में उसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है। जबकि सभी पणधारकों से प्राप्त टिप्पणयों पर विचार किया गया है, यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरसंयोजन से संबंधित मुद्दों में, सब्सक्राइबर, डीटीएच प्रचालक तथा प्रसारक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पक्ष होते हैं। अन्य पणधारक जैसे, केबल प्रचालक तथा मल्टी सिस्टम

प्रचालक डीटीएच सेवाओं के लिए अंतरसंयोजन ढांचे द्वारा सीधे प्रभावित नहीं हैं। परामर्श–प्रक्रिया के दौरान पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिया गया है। पश्चातवर्ती पैराग्राफ विभिन्न पणधारकों से प्राप्त मुद्दावार टिप्पणियों को संक्षेप में कवर करते हैं तथा विनियम के लिए आधार तथा तर्काधार निर्धारित करते हैं।

घ.1 <u>डीटीएच के लिए अंतरसंयोजन करार</u>

12. जबकि विद्यमान तथा संभावित डीटीएच प्रचालकों से प्राप्त टिप्पणियां प्रत्याशित थीं, जिनमें सभी ने अपेक्षित विनियामक ढांचे के रूप में मानक अंतरसंयोजन करारों का सुझाव दिया था, इस मुद्दे पर प्रसारकों में मतभेद था। अधिकांश प्रसारक अंतरसंयोजन करारों के लिए किसी विनियम के पक्ष में नहीं थे। एक प्रसारक ने मानक अंतरसंयोजन करार पद्धति का समर्थन किया तथा दूसरे ने संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव मार्ग की अनुशंसा की। उपभोक्ता संगठनों तथा व्यक्ति–विशेषों का यह मत था कि मानक अंतरसंयोजन करारों के माध्यम से प्रसारकों तथा डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन करारों को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। केबल प्रचालकों ने संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव का समर्थन किया।

घ.2 <u>मस्ट कैरी / कैरिज शुल्क</u>

13. अधिकांश विद्यमान तथा संभावित डीटीएच प्रचालकों का यह मत था कि गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं / चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा वाले खंड को बनाए रखा जाना चाहिए। कतिपय बड़े प्रसारकों ने भी ऐसी ही राय व्यक्त की। तथापि, कतिपय छोटे प्रसारक एक डीटीएच ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक प्रसारक को कम–से–कम पांच चैनलों का आवंटन चाहते थे। इसे समझा जा सकता है क्योंकि पांच चैनलों से कम की धारिता वाले किसी प्रसारक के लिए ऐसा कोई सूत्रीकरण स्वतः ही 'मस्ट कैरी' समाविष्ट कर देता है, जो गैर–भेदभाव आधार पर विभिन कंटेंट

प्रदाताओं/चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा वाले वर्तमान खंड के मामले में नहीं है। केबल ऑपरेटरों, एक एमएसओ और एक भावी डीटीएच ऑपरेटर ने गैर–भेदभाव आधार पर विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा वाले खंड को हटाने के पक्ष में राय दी है।

14. जहां तक कैरिज शुल्क को विनियमित करने का संबंध है, इस बात पर लगभग सहमति थी कि इसे बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तथापि, एक संभावित डीटीएच ऑपरेटर ने कैरिज शुल्क की राशि पर सीमा लगाने की सिफारिश की। एक छोटे प्रसारक और केबल ऑपरेटरों के एक संघ ने भी कैरिज शुल्क को विनियमित किए जाने की इच्छा जताई।

3 nj lpkj ¼i lkj.k vkj dcy lok,½ vrjl;ktu fofu;e] 2004 ¼2004 dk 13½ e l'kk/ku dju d fy, rdk/kj

15. प्राधिकरण ने यह तथ्य नोट किया कि दो विद्यमान डीटीएच ऑपरेटर कुछ प्रसारकों से उनके डीटीएच प्लेटफार्मों के लिए लोकप्रिय कंटेंट की एक्सेस प्राप्त करने के लिए माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के पास गए जबकि अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 में स्पष्टतः निर्धारित किया गया है कि "प्रत्येक प्रसारक, अनुरोध करने पर, टीवी चैनलों के सभी वितरकों को गैर–भेदभावपूर्ण शर्तों पर इसके टीवी चैनलों के सिगनल प्रदान करेगा, जिसमें शामिल होंगे परंतु सीमित नहीं होंगे, केबल ऑपरेटर, डायरेक्ट–टु–होम ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, हेड्स एंड इन द स्काई ऑपरेटर ....।" वर्तमान परिदृश्य में, जहां निकट भविष्य में और अधिक प्लेयरों द्वारा अपने डीटीएच प्लेटफार्म शुरू किए जाने की संभावना है, एक विनियामक ढांचे का होना आवश्यक होगा, जो वर्तमान तथा नए डीटीएच ऑपरेटरों को उनकी पसंद के कंटेंट की एक्सेस प्राप्त करने को सुकर बनाए और यह सुनिश्चित करे कि उपभोक्ताओं डीटीएच पर अपनी पसंद के चैनल देख सकें।

16. एक सौम्य विनियम तैयार करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन करारों को विनियमित करने के तरीके के रूप में मानक अंतरसंयोजन करारों पर संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को प्राथमिकता दी है। यह कार्यप्रणाली, प्रसारक को उसके कारोबार और बाजार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार प्राधिकरण द्वारा इसके विनियमों/निदेशों में निर्णित किए गए व्यापक दिशा–निर्देशों के अधीन उनके 'संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को तैयार करने का विकल्प प्रदान करती है। इसके साथ–साथ प्राधिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी हस्तक्षेप की शक्ति को अपने पास उस स्थिति के लिए सुरक्षित रखे जब उपभोक्ताओं या सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा की जानी हो, या जब एक आरआईओ अंतरसंयोजन विनियम के अनुरूप न हो या जब क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित किया जाना है। तदनुसार, प्रसारकों और डीटीएच ऑपरेटरों के बीच अंतरसंयोजन करारों को विनियमित करने के लिए विनियमों में आरआईओ कार्यप्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

17. गैर–एड्रेसेबल प्रणाली (गैर–कैस क्षेत्रों में) के माध्यम से वितरित की जा रही केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए आरआईओ कार्य प्रणाली का प्रयोग प्रचलन में है। तथापि, डीटीएच प्लेटफार्म भी एड्रेसेबल हैं और यह सब्सक्राइबर आधार के बारे में किसी अस्पष्टता को दूर करेगी। इसके अतिरिक्त, यदि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में अधिकांश महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें शामिल होती हैं, तो किसी अंतरसंयोजन करार पर न पहुंचने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस उद्देश्य से, संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 में शामिल किया गया है। ऐसी निबंधन और शर्तें, अन्य बातों के साथ–साथ, चैनलों की दरों और छूटों, भुगतान संबंधी शर्तों, सुरक्षा और पायरेसी–रोधी अपेक्षाओं, सब्सक्राइबर की रिपोर्टों और लेखापरीक्षा, करार की अवधि और करार की समाप्ति आदि से संबंधित हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में मुख्य वित्तीय निबंधन और शर्तों (दर, छूट, भुगतान संबंधी शर्तें और सब्सक्राइबर

आधार) को शामिल किया जाए जिन्हें डीटीएच सेवाओं में सभी पणधारकों के हितों की रक्षा के लिए उपबंध बनाते समय बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया गया है। सुरक्षा और पायरेसी–रोधी उपायों के अन्य विवादित मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अतः संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों से अंतरसंयोजन करारों पर पहुंचने में विलंब में कमी होने की संभावना है।

18. चूंकि प्रसारकों से अंतरसंयोजन की मांग करने वाले डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या सीमित है (इस समय केवल दो), यह अधिदेशित किया गया है कि प्रसारक, अपने संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों के बारे में सभी डीटीएच ऑपरेटरों को सूचित करेंगे। चूंकि डीटीएच ऑपरेटरों को लाइसेंस देना एक सतत प्रक्रिया है, नए डीटीएच ऑपरेटरों के पास संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों के लिए अनुरोध करने का अधिकार है और प्रसारकों द्वारा उन्हें उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ–साथ, एक्सेस और तत्काल संदर्भ को सरल बनाने के प्रयोजनार्थ, प्रसारकों की वेबसाइटों पर संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों को प्रकाशित करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसी प्रकार, संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों में किए गए किसी परिवर्तन की जानकारी डीटीएच ऑपरेटरों को देना और उसे वेबसाइट पर प्रकाशित करना भी अपेक्षित है। डीटीएच ऑपरेटरों को भी वर्तमान अंतरसंयोजन करारों में परिवर्धन करने का विकल्प दिया गया है ताकि वह इन विनियमों के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुरूप रहे।

19. अंतरसंयोजन करार पर पहुंचने के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव ही मात्र एक कार्यप्रणाली है और सेवा प्रदाता तथा प्रसारक पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर अंतरसंयोजन करार कर सकते है। तथापि, चूंकि अध्यारोही सिद्धान्त गैर–भेदभावपूर्ण आधार के सिगनलों का प्रावधान है, प्रसारक को किसी अन्य डीटीएच ऑपरेटर को भी समान निबंधन और शर्तों की पेशकश करनी अपेक्षित होगी, यदि उस अन्य डीटीएच ऑपरेटर द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है।

इसके साथ–साथ, गैर–भेदभावपूर्ण एक्सेस के सिद्धान्त में यह निहित है कि जिन डीटीएच ऑपरेटरों ने प्रसारकों के साथ अंतरसंयोजन करारों पर पहले ही हस्ताक्षर किए हुए हैं, उन्हें भी प्रसारक द्वारा यथाप्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर नए अंतरसंयोजन करार करने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए।

20. कंटेंट की एक्सेस के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव कार्यप्रणाली को एक प्रभावी साधन बनाने के लिए एक ऐसी समय–सीमा विनिर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है जिसके भीतर प्रसारक, डीटीएच ऑपरेटर के साथ संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के आधार पर अंतरसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करे। तदनुसार, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 में 45 दिनों की एक समय–सीमा निर्दिष्ट की गई है।

21. ऐसी स्थिति, जिसमें दोनों पक्ष अर्थात् प्रसारक और डीटीएच ऑपरेटर संयुक्त रूप से प्राधिकरण के पास जाएं और प्राधिकरण से कोई अंतरसंयोजन करार करने में सहायता करने का अनुरोध करें, से संबंधित प्रावधान, प्राधिकरण द्वारा 7 जून, 2007 को जारी केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधा हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 में दिए गए समान प्रावधानों पर आधारित हैं। ये प्रावधान, मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा केवल किसी अंतरसंयोजन करार को समर्थ बनाने के लिए हैं। ये प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत दोनों पक्षों को अन्यथा प्राप्त कानूनी अधिकारों और उपचार को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं।

22. डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि प्राधिकरण एक साथ बंडल किए गए सभी चैनलों, जो उनकी राय मे अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हैं, को कैरी करने की बाध्यता के बिना कंटेंट की एक्सेस को सरल बनाए। डीटीएच सेवाओं के टैरिफ में वृद्धि से संबंधित एक शिकायत पर भी, एक डीटीएच सेवा प्रदाता ने चैनलों की बंडलिंग

को उच्च टैरिफ का एक कारण माना है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह महसूस करना आवश्यक समझा गया कि संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में चैनलों के अला–कार्टे मूल्यों की घोषणा आदेशित की जानी चाहिए। अला–कार्टे आधार पर चैनलों के प्रावधान को आदेशित किए बिना, वर्तमान अंतरसंयोजन विनियम में संशोधन का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा।

23. गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर विभिन्न विषय प्रदाताओं/चैनलों को एक्सेस देने की अपेक्षा करने वाली डीटीएच लाइसेंस करार की निबंधन और शर्तों के खंड 7.6 पर चर्चा करते हुए, माननीय टीडीएसएटी ने टाटा स्काई लिमिटेड बनाम जी टर्नर लिमिटेड और अन्य के मामले में 2006 की याचिका सं0 189 (सी) के संबंध में 31 मार्च, 2007 के अपने आदेश में यह कहा था कि:–

" ....यदि कोई डीटीएच ऑपरेटर को प्रत्येक प्रसारक के सभी चैनल लेने हों, तो ऐसा करना वास्तविक रूप में संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि प्रत्येक चैनल को लिया जाना है, तो इसका यह अर्थ है कि उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। इससे डीटीएच ऑपरेटर की लागत बढ़ जाएगी। अंततः इस लागत का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। यदि डीटीएच, खर्चीला बन जाता है तो उपभोक्त उससे दूर भागेंगे। यह कैस या केबल के साथ मुकाबला करने में समर्थ नहीं होगा। अतः खंड 7.6 की ऐसी कोई परिभाषा उपभोक्ता विरोधी हो सकती है ...."

24. सब्सक्राइबरों के लिए डायरेक्ट–टु–होम सेवाओं की लागत में वृद्धि के अलावा, डायरेक्ट–टु–होम प्रचालकों हेतु चैनलों की अला–कार्टे उपलब्धता अधिदेशित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कारण है। उन चैनलों की संख्या पर तकनीकी सीमा है जो एक डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक अपने प्लेटफार्म पर कैरी करता है। वर्तमान में, देश में अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग के अंतर्गत 27 चैनलों की अनुमति है। किसी उपग्रह पर ट्रांसपोंडर क्षमता सीमित है तथा एक डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक प्रयुक्त संपीड़न प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए प्रति ट्रांसपोंडर लगभग 12 चैनल बीम कर सकता है। ट्रांसपोंडर

स्थान की उपलब्धता डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए चैनलों की संख्या को सीमित करेगी। इंसैट 4ए और इंसैट 4बी की 12 केयू बैंड तथा 12 सी बैंड प्रति ट्रांसपोंडर क्षमता है। अतः एक इंसैट उपग्रह का प्रयोग कर रहे डायरेक्ट–टु–होम प्रचालक के लिए सभी 270 चैनल प्रदान करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। माननीय टीडीसैट ने टाटा स्काई बनाम जी टर्नर लिमिटेड और अन्य के मामले में 2006 की याचिका सं0 189 में 31 मार्च, 2007 के अपने आदेश में कहा है किः–

" ....यह प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है कि कोई डीटीएच प्रचालक किसी विशेष प्रसारक के सभी चैनल नहीं लेना चाहेगा और अवांछित चैनल लेकर अपनी ट्रांसपोंडर क्षमता को समाप्त नहीं करना चाहेगा। क्योंकि डीटीएच प्रदाता कारोबार कर रहा है और उसे अपने कारोबार के हित को देखना है ...."

25. तथापि, अला–कार्टे आधार पर चैनलों के प्रावधान ने भी अला–कार्टे आधार पर चैनलों की कीमत और बुके की कीमत के बीच संबंध को विनियमित करने की आवश्यकता को जरूरी माना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चैनलों की अला–कार्टे पसंद चैनलों और चैनलों के बुके के हानिकारक मूल्य–निर्धारण के कारण भ्रामक न बन जाए। तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों हेतु अला–कार्टे और बुके मूल्यों के बीच सह–संबंध हेतु दिए गए फार्मूले को डीटीएच ऑपरेटरों के लिए भी अपनाया गया है।

26. डीटीएच ऑपरेटरों ने भी उनके द्वारा चुने हुए बुके के चैनलों को पैकेज करने के लिए स्वतंत्रता मांगी है। उन्होंने अपनी मांग को तर्कसंगत ठहराने के लिए कंटेंट की पैकेजिंग इस तरीके से करने की आवश्यकता बताई है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय रूचि के अनुसार कंटेंट को स्थानीय स्वरूप दे। प्राधिकरण ने इसे अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके साथ–साथ, यह अधिदेशित करके प्रसारकों के हितों की रक्षा की गई है कि किसी बुके में किसी चैनल के लिए उच्च सब्सक्राइबर आधार प्रसारक को समस्त बुके के लिए भुगतान का आधार होगा।

27. गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर विभिन्न कंटेंट प्रदाताओं/चैनलों की एक्सेस के प्रावधान की अपेक्षा करने वाले डीटीएच लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों का खंड 7.6 डीटीएच लाइसेंसिंग प्रावधानों के निबंधन और शर्तों की व्याप्ति के भीतर है जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) है। अतः उक्त खंड का संशोधन अंतरसंयोजन मुद्दों पर इस विनियम के अधिकारक्षेत्र से बाहर है। तदनुसार, इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस मुद्दे पर और आगे चर्चा नहीं की जा रही है।

28. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 बनाते समय प्राधिकरण ने विभिन्न पणधारकों अर्थात प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और डायरेक्ट–टु–होम सब्सक्राइबरों के हितों में संतुलन स्थापित करने तथा एक दूरसंचार सेवा होने के नाते डायरेक्ट–टु–होम सेवा में विकास को प्रोत्साहित करने के सभी प्रयास किए हैं।

Hkkjrh; njlpkj fofu;ked ikf/kdj.k

vf/klpuk

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2007

'kf)&i=

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 5 जून, 2007 को यथाप्रकाशित दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4), अंक संख्या 123 में,–

1. पृष्ठ 10, पंक्ति 14,–

   '(विनियम 15 देखें)' *d LFkku ij* '(विनियम 14 देखें)' *i<k tk,* ।

2. यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है।

3. यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता है।

¼vkj-d- vkuYM½
सचिव